सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 5642 / 1014 / 2016 दिनांक: 28.08.2017

के मामले में:

श्री धीरज कुमार R3163 वादी
सपुत्र स्वर्गीय देवनन्दन साह
ग्राम व पोस्ट – रानी चामुबन
थाना – बछवाड़ा, जिला – बेगुसराय, बिहार – 851111

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो R3164
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007 प्रतिवादी

केस सं0: 5583 / 1014 / 2015

श्री सत्या वादी
सपुत्र श्री राम नरेश सिंह R3165
मोहल्ला – पटेल नगर
पो., थाना, जिला–जहानाबाद, बिहार – 804408

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल R3166
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007 प्रतिवादी

केस सं0: 5586 / 1014 / 2015

श्री गुड्डू कुमार वादी
सपुत्र श्री गोरख प्रसाद R3167
ग्राम – पहाड़ीचक प्रवेसाबाद
पो0–सोनपुर, जिला–छपरा
(सारण), बिहार – 801105

बनाम

अध्यक्ष R3168
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007 प्रतिवादी

....2....

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

केस सं0: 5588 / 1014 / 2015

श्री प्रमोद कुमार
सपुत्र श्री अयोध्या सिंह
ग्राम – शिवपुर, पो. तराढ़ R3169
थाना – नोखा, जिला – रोहतास
बिहार – 8022015

वादी

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो R3170
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007

प्रतिवादी

केस सं0: 5596 / 1014 / 2015

श्री धर्मवीर कुमार
सपुत्र श्री राम नरेश प्रसाद R3171
काको मोड़, जहानाबाद
बिहार – 804417

वादी

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो R3172
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007

प्रतिवादी

केस सं0: 5637 / 1014 / 2016

सुश्री वीणा कुमारी
सपुत्री श्री बलिराम प्रसाद R3173
ग्राम – नन्दन बिगहा, पो. – मुरगांव
जिला – जहानाबाद, बिहार – 801303

वादी

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो R3174
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007

प्रतिवादी

केस सं0: 5643 / 1014 / 2016

श्री अक्षय कुमार
सपुत्र – स्व. ब्रजकिशोर भगत R3175
ग्राम व पोस्ट – टेहरा (रजाइन)
थाना – मखदुमपुर, जिला – जहानाबाद, बिहार – 804127

वादी

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो R3176
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007

प्रतिवादी

केस सं0: 5665/1014/2016

श्री पंकज कुमार
सपुत्र श्री सुरेश राय
ग्राम – चादपुर, पो.ओ. – हसनपुर गुर्दा
वाया–महानगर, थाना – पटौरी
जिला – समस्तीपुर – बिहार – 844506

R3177

वादी

बनाम

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सैल
पश्चिम रेलवे, पार्सल डिपो
अलीभई प्रेमजी रोड, मुम्बई – 400007

R3178

प्रतिवादी

सुनवाई की तिथियाँ : 14.10.2016, 04.11.2016, 01.02.2017, 06.02.2017 एवं 10.08.2017

उपस्थित तिथि 10.08.2017 :

- वादी – श्री धर्मवीर कुमार, श्री गुड्डू कुमार, श्री पंकज कुमार, अक्षय कुमार एवं श्री प्रमोद कुमार।
- प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्त्ताओं ने आर.आर.सी. मुम्बई द्वारा ग्रुप 'घ' में चयनित होने पर भी बार–बार मेडिकल में अनफिट कर दिए जाने से संबंधित शिकायत – पत्र निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. उक्त मामलों को अध्ययन करने के बाद मामलों को समसंख्यक पत्र दिनांक क्रमशः 02.02.2016, 17.12.2015, 29.01.2016 एवं 31.03.2016 द्वारा पश्चिम रेलवे, मुम्बई से लिया गया।

3. जबकि प्रतिवादी से प्राप्त उत्तरों दिनांक क्रमशः 26/29.02.2016, 27/29.01.2016, 25/28.01.2016, 26/29.02.2016 एवं 11/21.04.2016 के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 14.10.2016 को मामले में सुनवाई रखी जाये।

4. दिनांक 14.10.2016 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्त्ताओं ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और कहा कि उन्होंने आर.आर.सी., पश्चिम रेलवे, मुम्बई द्वारा आयोजित चतुर्थ वर्ग खलासी/हेल्पर के पद के लिए परीक्षा दी थी, जिसमें वे चयनित हो गए थे। सब कुछ सही होने के बावजूद उन्हें बार–बार मेडिकल में अनफिट कर दिया गया जबकि वे कम दृष्टिबाधित कैटेगरी से संबंधित थे जिनके लिए 107 पद आरक्षित थे, जिनकी मेडिकल जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23 के अनुसार की जानी चाहिए थी। श्री सत्या, शिकायतकर्ता का कहना था कि रेलवे विभाग का कहना है कि लो विजन 6/18 से 6/60 के बीच होनी चाहिए तो उन्होंने पटना पीएमसीएच, पटना आईजीआईएमएस और एआईआईएमएस, नई दिल्ली से सर्वे करवाया है। इस सर्वे के अनुसार उनकी विजन 6/24 है। इस जांच में उनकी गहनता से जांच की गई जैसे एआर, रिफ्लेक्शन, बी.स्केन,ईआर। ये साइंटिफिक जांच हैं जो भारत सरकार की नियमावली के अनुसार वह कैटेगरी–1 40 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आता हैं। श्री धर्मबीर, शिकायतकर्ता का कहना था कि उनकी विजन 6/60 से 4/60 है जो केटेगरी–2 में 75 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में हैं उन्होंने एसआईआईएमएस, नई दिल्ली से जांच करवाने के पश्चात् सर्टिफिकेट बनवाया है और उसमें

रेलवे विभाग 75 प्रतिशत विजन मांगता है और पटना एआईआईएमएस से भी वही टैली किया गया है। श्री प्रमोद कुमार, शिकायतकर्ता का कहना था कि उनकी विजन 6/24 से 6/60 है जोकि 75 प्रतिशत की विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। उनकी जांच आईजीआईएसमएस, पटना से हुई है। श्री अक्षय कुमार, शिकातकर्ता का कहना था कि उनकी विजन 6/36 है वे 40 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। उनकी विजन की जांच एआईआईएमएस, पटना, दिल्ली और आईजीएमएस, पटना से भी करवाई गई है। डिफेंस में जांच के दौरान भी उन्हें लो विजन कैटेगारी में बताया गया था। श्री धीरज कुमार का कहना था कि उनकी राइट विजन निल है और बाई. आंख की विजन 6/36 है जोकि उन्होंने एआईआईएमएस, दिल्ली से जांच करवाई थी और वे 45 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। श्री गुड्डू कुमार शिकायतकर्ता का कहना था कि उनकी विजन 6/30 है जोकि पटना एआईआईएमएस से जांच करवाई गई थी और वे 60 प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आते है। श्री पंकज कुमार, शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने अपनी विजन की जांच एआईआईएमएस, पटना दिल्ली और गुजरात भावनगर रेलवे हास्पिटल से करवाई थी जोकि 6/36 निकली।

5. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने अध्यक्ष (रे.भ.से.), मुम्बई का दिनांक 13.10.2016 का पत्र प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड कर लिया गया। उन्होंने निवेदन किया कि रेलवे भर्ती सेल, पश्चिम रेलवे ने रोजगार सूचना संख्या 2/2013 के अंतर्गत कुल 8662 रिक्त पदों में से 107 पद ग्रुप डी में भर्ती हेतु निकाले थे। उपरोक्त आठ अभ्यर्थी जो पहले लो विजन के टैस्ट में फेल हो गए थे, उन्हें अनफिट कर दिया गया। इनकी लो विजन टैस्ट रिपोर्टों को तीन मेडिकल अधिकारियों ने रिव्यू किया। उनके अनुसार भी ये अनफिट पाए गए। इसके बाद इन्हें पत्र भेजकर मौका दिया गया कि वे री--मेडिकल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आवेदन किया और इनकी री–मेडिकल परीक्षा करवाई गई जोकि उपरोक्त तीन डाक्टरों से भिन्न डाक्टरों द्वारा परीक्षा करवाई गई जिन्होंने पहले परीक्षा नहीं ली थी। उसके अलावा दो बाहरी डाक्टरों को बुलाया गया। वे इस मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। उनके अनुसार भी ये आठों अभ्यर्थी एलवी केटेगारी के लिए अनफिट पाए गए, जिसकी सूचना इनको देकर इनकी अभ्यर्थिता कैंसिल कर दी गई। प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने आगे निवेदन किया कि दिनांक 16.10.16 को रेलवे भर्ती सैल–पश्चिम रेलवे द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके कारण रेलवे भर्ती सैल के अध्यक्ष इस सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके। अगली सुनवाई दिनांक 04.11.2016 को तय हुई।

6. दिनांक 04.11.2016 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं एवं प्रतिवादी ने अपने कथनों को दोहराया। पक्षकारों को सुनने के पश्चात् प्रतिवादी की निर्देश दिया गया कि इस मामले में एक स्वतंत्र चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो डाक्टर राज्य सरकार के अस्पतालों के हों और एक डाक्टर मुख्य चिकित्सा निदेशक, पश्चिम रेलवे द्वारा मनोनीत हो। गठित चिकित्सा बोर्ड उपरोक्त दिव्यांग व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 01.06.2001 और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) के पैरा 23 को ध्यान में रखते हुए करें और अपनी रिपोर्ट इन टिप्पणों के साथ कि क्या उपरोक्त विकलांग अभ्यर्थी खलासी/हेल्पर का पद ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है।

7. दिनांक 01.02.2017 की सुनवाई के दौरान, श्री के.के. ठाकुर, अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सैल, पश्चिम रेलवे का कहना था कि उन्होंने रेल मंत्रालय को इस मामले का जिक्र करते हुए कि रेलवे के बाहर के दो डाक्टरों द्वारा जाँच किया जाना रेलवे भर्ती के लिए लागू होगा या नहीं, इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछे। रेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम रेलवे के चिकित्सा विभाग को इस मामले के लिए अनुमति दी गई। जिसे आगे के लिए उदाहरण न बनाया जाए। तत्पश्चात् चिकित्सा निदेशक, जगजीवन राम अस्पताल ने राज्य सरकार के अस्पतालों से दो नेत्र विशेषज्ञों को नामित करने के लिए अनुरोध किया। उनका कोई उत्तर नहीं आने पर दोबारा लिखित में अनुरोध किया गया। परन्तु जब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब रेलवे के एक चिकित्सक राज्य

....4.....

सरकार के अस्पताल में गए और उनके द्वारा आग्रह करने पर राज्य सरकार के दो नेत्र विशेषज्ञ और रेलवे के एक नेत्र विशेषज्ञ को मिलाकर पुनः चिकित्सा जांच के लिए समिति गठित की गई और रेलवे भर्ती सेल को इसकी सूचना उनके पत्र दिनांक 27.01.2017 को प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि चार अभ्यर्थियों का पुनः चिकित्सा परीक्षण जगजीवनराम रेलवे अस्पताल, मुम्बई में 27.02.2017 को और अभ्यर्थियों का दिनांक 28.02.2017 को होगा। अभ्यर्थियों को इसकी सूचना रेलवे भर्ती सैल, पश्चिम रेलवे के पत्र दिनांक 30.01.2017 के द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजी गई जिसकी उन्हें एक -- दो दिन में प्राप्ति संभावित थी। उसकी एक प्रति सुनवाई के दौरान इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। न्यायालय से निवेदन किया गया कि अगर उचित समझें तो उसकी प्रति अभ्यर्थियों को भी दी जा सकती है। पुनः चिकित्सा परीक्षण के बाद जो भी परिणाम रहा होगा, उससे इस माननीय न्यायालय को रेलवे भर्ती सेल द्वारा अवगत कराने का वर्णन भी किया गया।

8. दिनांक 10.08.2017 की सुनवाई के दौरान उपरोक्त उपस्थित वादी थे और प्रतिवादी ने पत्रांक सं0 ई(भर्ती)/891/1/2–13/सीपीडब्लूडी/8पीएच/वीएच/एल–1222 दिनांक 31 जुलाई 2017 द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि उपरोक्त आठ दृष्टिबाधित उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार चिकित्सा जाँच में अनुपस्थित रहीं और एक अन्य उम्मीदवार को चिकित्सा जाँच में अयोग्य पाया गया। शेष छः उम्मीदवारों को चिकित्सा दृष्टि से योग्य पाये जाने पर संबंधित मंडलों द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

9. उपरोक्त केस में छः उम्मीदवारों को चिकित्सा दृष्टि से योग्य पाये जाने पर संबंधित मंडलों द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रदान की जा रही है। इसलिए मुद्दे को बंद किया जाता है। महानिदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली को सलाह दी जाती है कि सभी रेलवे मेडिकल बोर्ड को निर्देश दिये जायें कि दिव्यागों की नियुक्ति के संदर्भ में उनका मेडिकल प्रमाण पत्र ध्यान में रखकर मेडिकल बोर्ड निर्णय लें एवम यह भी सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजन के अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन न हो।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त